**ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA**
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
**PP. No.- 169-171**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

# पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण

**1. पुष्पा बिंद**
**2. डॉ0 रजनीश**

1. शोध अध्येत्री, 2. असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री विश्राम सिंह राजकीय पी.जी. कॉलेज, चुनार–मिर्जापुर (उ0प्र0), भारत

**Received-13.05.2023, Revised-18.05.2023, Accepted-22.05.2023** **E-mail: rakeshkumarverma26@gmail.com**

***सारांशः*** ***सृष्टि की कल्पना महिला के बिना अपूर्ण मानी गई है। महिला इस संसार की एक बहुमूल्य धरोहरों में से एक है। महिला के योगदान को किसी भी क्षेत्र में नकारा नहीं जा सकता है। महिला के बिना घर, गृहस्थी, परिवार, देश समाज का निर्माण का कल्पना करना संभव नहीं है। षासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी से ही लोकतंत्र की वास्तविक सफलता सुनिष्चित होती है। विष्व का महानतम लोकतंत्र कहलाने वाला भारत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक श्रेश्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश है। 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की ग्रामीण संरचना को सशक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें न केवल पुरूश को बल्कि महिलाओ को भी सषक्त करने एवं राजनितिक भागीदारी को एक ठोस आकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है जिससे महिलाएं संविधानतः राजनैतिक रूप से सषक्त हुई हैं। महिला सषक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस शोध पत्र के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगें।***

***कुंजीभूत शब्द– पंचायतीराज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, सशक्तिकरण,विकेन्द्रीकरण, आरक्षण, गृहस्थी, परिवार, देश समाज।***

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की ग्रामीण संरचना को सशक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं की भी राजनीतिक भागीदारी को एक ठोस आकार प्रदान किया गया है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, संविधान के तहत महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है या हम यें कहें उन्हें एक नया जीवन प्राप्त हुआ है, तो दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण है, जहाँ महिलाओं को पंचायतों में वास्तविक भागीदारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इस शोध आलेख के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण के द्वारा महिला नेताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी ने जनजातीय सामाजिक संगठन के साथ–साथ भारतीय समाज की समग्र श्रेणीबद्ध संरचना में उनकी स्थिति में एक जबरदस्त परिवर्तन लाया है, जो उनके सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है।

देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं, जहाँ पंचायतीराज व्यस्था प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम के आरंभ के साथ इस योजना की शुरुआत माना जाता है। हमारा संविधान भी यह निर्देश देता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का निर्माण कर उन्हें इतनी शक्ति व अधिकार प्रदान करेगा, कि वे स्थानीय स्वशासन के इकाई के रूप में कार्य कर सके। पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से हजारों लाखों महिलाओं का जो प्रजातांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है जो हमारी राजनीतिक चरित्र को प्रभावित कर रही है। पंचायतीराज में अब महिलाएं बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं जिससे महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता उनके स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संदेश है। इससे समाज में फैली असमानता भी दूर हो रही है।

महिलाएं सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए सक्षम हो रही हैं, महिलाओं को विभिन्न कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। उनके सामने अनेक सामाजिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, राजनीतिक चुनौतियां तथा प्रशासनिक चुनौतियां आई हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी इन समस्याओं का समाधान नहीं है। महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के बहुत से सपने कुचलती हुए प्रतीत हुए थे लेकिन धीरे–धीरे परिस्थितियां बदलती गयीं और अब पंचायतों में चुनी जाने वाली महिलाएं पुरुषों के हाथ की कठपुतली नहीं रह गयी है। अब महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हो कर चुनाव में भाग लेती हैं। पंचायत में महिलाओं के अधिकार, उनकी शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के बारे में,पंचायतों की कार्यवाही करने के लिए अनेक नियम व कानूनों के बारे में, विकेन्द्रीकरण योजना, वित्तीय संसाधन एवं गैर वित्तीय संसाधन एकत्रित करने के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहीं हैं। जिसके कारण महिलाओं की सोच एवं समझ में परिवर्तन हुआ है, उनका विस्तार हुआ है और वह पंचायतो मे अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा रहीं हैं। अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए उनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है।

भारतीय संविधान में महिलाओं को न केवल समानता का अधिकार मिला है अपितु महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक रूप में भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य को शक्ति देता है। भारतीय संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है अर्थात पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए पंचायत के सभी स्तरों पर एक तिहाई पद आरक्षित किया गया है। इस कानून से पहली बार ग्रामीण महिलाओं को महसूस हुआ कि वे राजनीतिक सत्ता में भी भागीदारी दे सकती हैं। पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की शुरूआत महिलाओं को और अधिक मजबूत और सशक्त किया है। बिहार भारत का पहला राज्य है, जहाँ 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। यह आरक्षण महिला

**अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

सशक्तिकरण की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो रहा है। राजनीति सहभागिता से महिला नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है, जहां महिलाओं का विकास हो।

**महात्मा गांधी के कथानुसार–**"अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाए, तो कितनी खुशी होगी महिला शक्ति सुस्त पड़ी है। अगर भारत की महिलाएं जाग जाएं तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देंगी।"

महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय और समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस तरह की क्षमताओं का विकास जिससे वह अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए इच्छा अनुसार सक्षम हो तथा उनमें आत्मविश्वास को जागृत करना हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम और समितियों का गठन किया गया। "जी एल राय व सागर मंडल" द्वारा लिखित पुस्तक ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में 1968 से 1969 के दौरान महिलाओं की पंचायतों में स्थिति को प्रस्तुत किया गया है इसके अनुसार जिला परिषद की कुल 675 सीटों में महिलाओं की संख्या 32 थी।

वर्धमान जलपाईगुड़ी व प्रेसिडेंसी इन तीन डीविजनो में मध्य स्तर अर्थात अंचल पंचायत में कुल 217,050 सीटों में से महिलाओं की संख्या 185 तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 217050 में से महिलाओं की संख्या 469 थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के जिला स्तर पर भागीदारी 4% मध्य स्तर पर 0.18% व ग्राम पंचायत स्तर पर 0.21% थी, जिसे शून्य ही कहा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के कारण महिलाओं के विकास का जो अवसर प्रदान किया गया उसके कारण राजनीति में महिला नेतृत्व उभर कर सामने आया है। यह निश्चय है कि भविष्य में महिलाएं भी राजनीति में अपना योगदान देगी।

भारतीय स्त्रियों का विकास आज भी ना के बराबर है। आज भी स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है वैसे तो आज वर्तमान में स्त्री–पुरुष के बीच में समानता देखने को मिलती है लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति गुलाम जैसी है। महिलाओं के बारे में आज तक हमने जो ग्रंथों में पढ़ा है कि पति चाहे जैसा हो रोगी हो,गरीब हो, बुद्धिहीन हो या बूढ़ा या जवान हो उसकी सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है।स्त्री पुरुष पर ही निर्भर रहती है पुरुष ही फैसला लेता है और उस पर स्त्रियों को अमल करना पड़ता है।

समाज में स्त्री पुरुष के बीच असमानता की एक बहुत बड़ी खाई है। इसी असमानता को दूर करने हेतु महिला सशक्तिकरण एक नीव के समान है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता निम्न प्रकार से दिया जा सकता है।

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे लेकिन धीरे–धीरे समय बीतता गया। बहुत से उतार–चढ़ाव दिखाई दिए मनु के समय में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई मुगल काल में महिलाओं की स्थिति निकृष्ट होती गई ।इस काल में स्त्रियों की स्थिति और भी पिछड़ी हुई थी उनकी भूमिका संकुचित होकर रह गई थी। ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिए स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। महात्मा गांधी जी ने भी पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन को महिलाओं की मुक्ति से जोड़ा था। सन् 1925 ई. में महात्मा गांधी ने कहा था –"जब तक भारत की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेंगे तब तक इस देश को मुक्ति नहीं मिल सकती मेरे लिए ऐसे स्वराज का कोई अर्थ नहीं है जिसको प्राप्त करने में महिलाओं ने अपना भरपूर योगदान ना किया हो।"

महिलाओं की स्थिति को देखते हुए सरकार को महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हुई। सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास शुरू किए गए। प्राचीन भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था और पंचायती राज व्यवस्था के सिद्धांत के लिए पंच परमेश्वर की प्राचीन परंपरा से प्रेरणा प्राप्त की गई है इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत कार्य करता है कि सरकार के निचली इकाइयों को सत्ता का अधिकतम हस्तांतरण चर्चित निर्वाचन से गठित स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वशासन रहा है यह सिद्धांत प्रमुख रूप से 4 बुनियादी अवधारणाओं पर आधारित है।

1– राजनीति में प्रत्येक वर्ग का भागीदारी।
2– आर्थिक विकास हेतु संसाधनों को जुटाना।
3– प्रजातंत्र में बुनियादी संस्थाओं को समाहित करना।
4– राष्ट्रीय एकता की गारंटी।

इन सभी प्रमुख बिंदुओं में स्त्रियों का खास महत्व है। क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में प्रजातांत्रिक संरचना पूर्ण नहीं होगी तथा दूसरी ओर उनके सशक्तिकरण के अभाव में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी इसी कारण महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई बालिका समृद्धि योजना, महिला स्वयं सिद्धि योजना, स्वयं सहायता समूह, इंदिरा गांधी महिला योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा),कन्या समृद्धि योजना इत्यादि, ऐसे बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, जिसके कारण महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्पष्टतः महिला विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन कुछ कमियों के कारण ये योजनाएं सफल साबित नहीं हो पा रही हैं।

पंचायती राज्य में महिलाओं की सहभागिता का प्रयोग देश के उन सभी जगहों पर अधिक सफल रहा है जहां पर पहले से

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

ही महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अर्थात जहां पर महिलाएं राजनीतिक कार्यक्रम में अपना समर्थन दिया है, लेकिन जहां परिस्थितियां विपरीत हो राजनीति का सकारात्मक सहयोग महिलाओं को नहीं मिलता, वहां पर महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। अतः महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए अति आवश्यक है कि पंचायतों का सशक्तिकरण हो। असफल और कमजोर पंचायतें स्त्रियों को सशक्त नहीं कर सकती इसलिए आवश्यक है कि पंचायतों के स्थिति में सुधार किया जाए। पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। पंचायतराज के कारण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में सुधार हुआ है।

**निष्कर्ष–** उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि महिलाओं के समक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियां हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता देश के विकास में बढ़ावा देगी, जिससे भारतीय प्रजातंत्र को मजबूती मिलेगी। महिलाओं के हितों के लिए रक्षा व उनकी सशक्तिकरण हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार को सिर्फ कानून बनाकर उन्हें लागू करना ही नहीं अपितु जनता को जागरूक करके महिलाओं के अधिकारों को उन तक पहुंचाना होगा किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जहां पर महिलाओं का विकास हो। इसके लिए महिलाओं के प्रति अब लोगों को अपने विचार और मानसिकता को बदलना होगा तभी किसी भी राष्ट्र का विकास संभव होगा। वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो प्रावधान व कानून बने हैं वह सैद्धांतिक संदर्भ में उन्हें अधिकार व अवसर प्रदान करते हैं तथा उसमें किसी भी तरह की कोई कमी प्रतीत नहीं होती है, किंतु व्यवहारिक रूप में यह लक्ष्य पूर्ण नही दिखाई पड़ता है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए लिंग भेद रहित समानता एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई हैं। इसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को नवीन रूप देने हेतु विस्तृत एवं वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत दलित एवं महिलाओं को सहभागिता निभाने हेतु आरक्षण की व्यवस्था प्रदान कर स्थानीय निकायों या संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को संगठित सुदृढ़ एवं अधिकार युक्त बनाना था, तॉकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद एवं राज्य विधान मंडलों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे महिलाओं की दशा व स्थिति सुधारा जा सके।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लाल, बाबेल बसंती, ''पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजना ''राजस्थानःहिन्दी ग्रंथ अकादमी सातवां संस्करण, 2014.
2. महिपाल ''पंचायतीराज 'चुनौतियां एवं सम्भावनायें' नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत 2004.
3. सिंह, डॉ वी. ऐन. डॉ जनमेजय सिंह ''ग्रामीण समाजशास्त्र'' जवाहर नगर, दिल्ली विवेक प्रकाशन 2015.
4. महीपाल '' पंचायत में महिलाएं ''नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पहला संस्करण 2017.
5. देसाई, नीरा '' वीमेन एंड सोसाइटी '' बम्बई, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी।
6. योजना, 2021 नवंबर।
7. कुरुक्षेत्र, जुलाई 2018.
8. http://andjournallin.files.wordpress.com
9. http://groups.goal.com
10. http://www.theruralindia,in
11. http://gkexams.com

*****